झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
त्रयोदश (मानसून) सत्र
वर्ग–01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, शनिवार, दिनांक– 30 आषाढ़, 1940 (श0) ..... को 21 जुलाई, 2018 (ई0)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को संसूचित की गई सा0 संख्या	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
75	अ0सू0–03	श्री प्रदीप यादव,	जाँच कराना	वाणिज्यकर	09.07.2018
76	अ0सू0–06	श्री नागेन्द्र महतो,	जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करना	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	12.07.2018
77	अ0सू0–11	श्री निर्भय कु0शाहाबादी,	G.S.T.वसूली का प्रावधान करना	योजना सह वित्त	15.07.2018
78	अ0सू0–04	श्री बिरंची नारायण,	जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करना	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	10.07.2018
79	अ0सू0–08	श्री नवीन जयसवाल,	नौकरी देना	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	12.07.2018
80	अ0सू0–09	श्री बिरंची नारायण,	परिदान आयोग का गठन	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	15.07.2018
81	अ0सू0–01	श्री प्रदीप यादव,	पदस्थापित करना	गृह कारा एंव आपदा प्रबंधन	06.07.2018
82	अ0सू0–05	श्री लक्ष्मण टुडू,	भूमिज भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	11.07.2018
* 83	अ0सू0–02	श्री अमित कुमार मंडल,	राजकीय शहीद का दर्जा देना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	06.07.2018
84	अ0सू0–14	श्रीमती निर्मला देवी,	अनुसंधान कराना।	गृह कारा एंव आपदा प्रबंधन।	16.07.2018

कृ0पृ0उ0

* कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक - 5138, दिनांक - 11/07/18 के द्वारा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में स्थानांतरित।

01	02	03	04	05	06
*	85–अ0सू0–15	श्री कुशवाहा शिवपूजन, मेहता	मुआवजा का भुगतान	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	16.07.2018
	86–अ0सू0–13	श्री अनंत कुमार ओझा,	पुलिस बल की संख्या बढ़ाना	गृह कारा एंव आपदा प्रबंधन।	16.07.2018
	87–अ0सू0–16	श्रीमती निर्मला देवी,	पुर्नवास की व्यवस्था	गृह कारा एंव आपदा प्रबंधन।	16.07.2018
	88–अ0सू0–12	श्री राधाकृष्ण किशोर,	प्रोन्नती देना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	16.07.2018
	89–अ0सू0–07	श्रीमती सीमा देवी,	दोषि पदाधिकारी पर कार्रवाई	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	12.07.2018
	90–अ0सू0–10	श्री शिवशंकर उरांव,	सुविधा पर रोक लगाना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	15.07.2018

राँची
दिनांक–21 जुलाई,2018 (ई0)

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0–03/2015–3274/वि0स0,रांची,दिनांक– 17/07

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/मुख्य सचिव/माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
17/07/18
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0–03/2015–3274/वि0स0,रांची,दिनांक– 17/07/

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, आप्त सचिवीय कार्यालय क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
17/07/18
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0–03/2015–3274/वि0स0,रांची,दिनांक– 17/07/18

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
17/07/18
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

राय/

17-07-18

* गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक - 3828, दिनांक - 17/07/18 के द्वारा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में स्थानांतरित।

(76)

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.07.2018 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–06 का उत्तर प्रतिवेदन।

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.07.2018 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–06 का उत्तर निम्नवत अंकित है:–

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के आरक्षित वर्गों के लिये निर्गत की जा रही जाति प्रमाण–पत्र का मान्य समयावधि 3 वर्ष निर्धारित की गई है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित जाति संवैधानिक रूप में अपरिवर्तनीय है जिसका मान्य अवधि तय कर दिये जाने से उम्मीदवारों को भरी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार समयावधि को समाप्त करते हुए एक ही बार जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में दिए गए उत्तर के आलोक में प्रश्न की कंडिका–3 का कोई औचित्य नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–26 / 2018 का0–5398 / रांची, दिनांक 19.7.18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–3205 वि0स0, दिनांक–12.07.2018 के प्रसंग में 250 (दो सौ पचास) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/2018

(चन्द्र भूषण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

(77)

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स० वि० स० द्वारा प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न सं०–11

क्या मंत्री, योजना सह वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों के गली–मोहल्ले में स्थानीय पुलिस प्रशासन के संरक्षण में भारतीय लॉटरी अधिनियम, 1998 के तहत लगभग 10 राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित साप्ताहिक लॉटरी टिकटों की ब्रिक्री की जा रही है, जिसका परिणाम प्रतिवेदन राज्य व क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है ?	अस्वीकारात्मक। भारतीय लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 3646, दिनांक 05.12.2008 द्वारा अधिसूचित है कि अन्य राज्यों द्वारा आयोजित, संचालित तथा सम्प्रवर्तित लॉटरी की बिक्री झारखण्ड राज्य के अंतर्गत पूर्णतः प्रतिबंधित है एवं सभी संबंधितों को इसका सख्ती से अनुपालन हेतु दिशा–निर्देश निर्गत है।
2. क्या यह बात सही है कि वर्णित टिकटों की बिक्री पर सरकार द्वारा 28% GST वसूली का प्रावधान है,	2. स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि राज्य में टिकटों की बिक्री से सम्बंधित कोई नीति नहीं होने के कारण GST की राशि बंगाल चली जाती है क्यूंकि उक्त टिकटों की बिक्री राज्य में बंगाल से लाकर की जा रही है, जिससे राज्य सरकार को प्रतिमाह करोड़ों रुपये राशि की हानि हो रही है,	3. चूँकि लॉटरी की बिक्री इस राज्य में पूर्णतः प्रतिबंधित है, इसलिए इसपर GST की वसूली करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य हित में टिकटों की बिक्री की उच्च स्तरीय जांच कराकर सम्बंधित दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कठोर कारवाई करते हुए अन्य राज्यों की भाँती GST वसूली का प्रावधान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4. अधिसूचना संख्या 3646, दिनांक 05.12.2008 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश पुनः सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दिया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग

ज्ञापांक : 10/वि०स० (4)–20/2018 ...106.../वि०जे० **राँची, दिनांक :** 20.7.18

प्रतिलिपि : प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधानसभा राँची को 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.07.18

(अविनाश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव,
योजना सह वित्त विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(78)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.07.2018 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–04 का उत्तर प्रतिवेदन।

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.07.2018 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–04 का उत्तर निम्नवत अंकित है:–

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 1950 के पश्चात् जो भी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग झारखण्ड में रह रहे है, उन्हें विभाग द्वारा जाति प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार वर्ष 1950 के भारत सरकार के ST एवं SC के नोटिफिकेशन के आधार मानकर जाति प्रमाण–पत्र निर्गत कर रही है;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में लागू domicile नीति के तहत् निर्धारित कट ऑफ डेट वर्ष 1985 को आधार मानकर झारखण्ड सरकार ST और SC जाति प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं कर रही है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तत्काल ST और SC समुदाय के लोगों को कट ऑफ डेट वर्ष 1985 को आधार मानकर जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950/संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 एवं समय समय पर संशोधित आदेशों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए परिपत्र सं0–5682, दिनांक–22.10.2008 द्वारा झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा परिपत्र सं0–2216, दिनांक–22.07.2005 द्वारा अन्य राज्य से आव्रजित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र निर्गत है। तद्नुसार झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य राज्य से आव्रजित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–25/2018 का0–5426/रांची, दिनांक 19.7.18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–3105 वि0स0, दिनांक–10.07.2018 के प्रसंग में 250 (दो सौ पचास) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18
(दीपक कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

(79)

माननीय श्री नवीन जयसवाल, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.07.2018 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–08 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा झारखण्ड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा–2017 में वैसे चयनित उम्मीदवारों को नौकरी देने से वंचित कर दिया गया है जिसका जाति प्रमाण पत्र आवेदन भरने की तिथि के बाद निर्गत हुआ है, ऐसी स्थिति में बहुत सारे योग्य चयनित उम्मीदवार इस नौकरी से वंचित रह जायेंगे;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा–2017 की विवरणिका की कंडिका–7(III) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि आवेदन समर्पित करने के अंतिम तिथि तक झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को विहित प्रमाण–पत्र का विवरण ऑन–लाईन आवेदन–पत्र में देना अनिवार्य होगा एवं आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके पास आरक्षण संबंधी वांछित प्रमाण पत्र नहीं था, के द्वारा आवेदन पत्र में गलत प्रमाण पत्र संख्या एवं तिथि भर कर आवेदन समर्पित किया गया परन्तु सत्यापन के समय आवेदन पत्र में उल्लेखित प्रमाण पत्र से भिन्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। तदनुसार आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जिनका जाति प्रमाण पत्र आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत है, को आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। आवेदन पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि तक वांछित जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत नहीं रहने के फलस्वरूप ऐसे अभ्यर्थियों के आरक्षण का दावा निरस्त करते हुए, यदि वे अनारक्षित कोटि के सभी अहर्त्ताओं को पूरा करते है तो उन्हें अनारक्षित कोटि के परीक्षाफल में शामिल किया गया है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वैसे चयनित उम्मीदवार जो अपना जाति प्रमाण पत्र, आवेदन भरने की तिथि के बाद निर्गत कराया है, को नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड–1 के आलोक में उत्तर अस्वीकारात्मक है। झारखण्ड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा–2017 के विवरणिका में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण का दावा के संबंध में अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो ले कि आवेदन की तिथि तक वे आवश्यक अहर्त्ता पूर्ण करते हैं एवं एतत संबंधी वांछित प्रमाण पत्र उनके पास उपलब्ध है। एक बार आवेदन Submit करने के पश्चात् परीक्षाफल को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक की परीक्षा ली जायेगी। आवेदन की तिथि तक आवेदक आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र रखते हैं, इसकी पुष्टि के लिए आवेदन पत्र में प्रमाण–पत्र संख्या एवं तिथि को अनिवार्य रूप से अंकित करना था। यदि सत्यापन के क्रम में अभ्यर्थी आरक्षण का दावा संबंध प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो आयोग के द्वारा उनकी अभ्यर्थिता गलत तथ्य देने के लिए रद्द की जा सकती है परन्तु आयोग द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए वैसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि तक सीमित की गयी है। विज्ञापन की कंडिका–7(III) एवं 9 के शर्तों के अनुरूप निर्धारित तिथि के बाद का प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–11/2018 का0 5459 /राँची दिनांक– 20 जुलाई, 2018

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–3221, दिनांक–12.07.2018 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज कुमार 20/7/18
(राज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.07.2018 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–09 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा–10 के तहत् राज्य लोक सेवा परिदान आयोग का गठन करना था अथवा किसी कार्यरत आयोग को इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्राधिकृत करने संबंधी नियम है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि नियमावली के प्रभावी निष्पादन हेतु प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी नामित किए है, जिसमें केवल द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को ही दंडात्मक शक्ति प्राप्त है,	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नागरिकों को त्वरित और निर्धारित समय सीमा के अंदर सूचीबद्ध सेवाओं को उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य लोक सेवा परिदान आयोग का गठन करने अथवा किसी कार्यरत आयोग को इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्राधिकृत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अधिनियम की संगत धारा–10 के अन्तर्गत आयोग का गठन बाध्यकारी प्रावधान के अधीन नहीं रखा गया है। सरकार इसके गठन के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लेगी।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि0स0प्र0–08–03 / 2018 का0 5400 / राँची, दिनांक– 19 जुलाई, 2018

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–3247 दिनांक–15.07.2018 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.7.18

(अजय कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव।

(81)

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.07.2018 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि अभिनव सेवा समिति (एन०जी०ओ०) बरवाडीह, जिला–लातेहार द्वारा सरकारी पैसे की गबन की जांच विशेष शाखा, राँची के श्री रामाकांत ओझा को वर्ष 2017 में मिला था ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि यह जांच मुर्गी पालन पंचायत–सीलम, प्रखंड–रायडीह, जिला–गुमला से संबंधित था, जिसकी प्रशंसा मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री ने की थी ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि जांच प्रतिवेदन समर्पित होने के पूर्व ही अधिकारी श्री ओझा का ट्रांसफर कर दिया गया ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्री ओझा को पुनः पदस्थापित कर इस जांच को पूरी कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	श्री ओझा लम्बे समय तक राँची में पदस्थापित थे तथा आरोपित रहने के कारण प्रशासनिक दृष्टिकोण से इन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है। सम्प्रति श्री ओझा को पुनः राँची में पदस्थापित करना विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–21 / 2018 – 4110 राँची, दिनांक–20/07/2018 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2963, दिनांक–06.07.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

82

माननीय स.वि.स. श्री लक्ष्मण टुडू द्वारा दिनांक 21.07.2018 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–05 का उत्तर

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखंड प्रदेश में 32 जनजातियों में से भूमिज एक प्रमुख जनजाति है, जिसकी कुल आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार 2,14,298 अंकित की गई है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में भूमिज जनजाति की आबादी 2,09,448 है।
2	क्या यह बात सही है कि भूमिज भाषा की अपनी लिपि ओल अनोल सृजित है एवं उक्त भाषा का प्रयोग राज्य भर में वृहत स्तर पर किया जाता है, परन्तु राज्य गठन के 17 वर्षों के पश्चात भी इस भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक
3	क्या यह बात सही है कि राज्य में कई ऐसी भाषायें हैं जिन्हें राज्य में द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और जिनका प्रयोग करनेवालों की आबादी भूमिज जनजाति से भी कम है;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भूमिज समाज के जनभावनाओं को देखते हुये चालू सत्र में भूमिज भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में भूमिज भाषा–भाषियों की संख्या मात्र 11,275 है, जो झारखंड की कुल जनसंख्या का 0.035 प्रतिशत है। राज्य में भूमिज भाषा–भाषियों की संख्या तथा उसकी सीमित उपयोगिता को देखते हुये झारखंड राज्य में बोली जानेवाली 'भूमिज' भाषा को तत्काल द्वितीय राजभाषा बनाने में तकनीकी कठिनाई है। भविष्य में इस संबंध में सरकार द्वारा नीतिगत फैसला लेने के उपरांत ही यह विचारणीय होगा।

झारखंड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

ज्ञापांक राजभाषा/संसदीय–31/2018/164/रा० राँची, दिनांक 19 जुलाई, 2018

प्रति, अवर सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 3143 वि.स., दिनांक 11.07.2018 के आलोक में 250 प्रतियाँ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/07/18

(ओम प्रकाश साह)
सरकार के उपसचिव

84

श्रीमती निर्मला देवी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.07.2018 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–14 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि किसी भी अपराध के लिए एफ०आई०आर० एवं गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा किया जाता है तथा अनुसंधान भी पुलिस के द्वारा ही किया जाता है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि एफ०आई०आर०, गिरफ्तारी एवं अनुसंधान एक ही संस्था से करवाने के कारण अनुसंधान प्रभावित होने की संभावना रहती है ;	अस्वीकारात्मक। कोई अपराध घटित होने पर जिला के संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज की जाती है। पुलिस पदाधिकारी के शिकायतकर्त्ता होने पर अनुसंधान का भार अन्य पुलिस पदाधिकारी को दिया जाता है। वादी कभी भी अनुसंधानकर्त्ता नहीं होता है। घटना की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए उस कांड का अनुसंधानक संबंधित पंक्ति के पुलिस पदाधिकारी को बनाया जाता है। कांड के अनुसंधान पर नियंत्रण वरीय पुलिस पदाधिकारियों का रहता है, जिससे अनुसंधान कार्य प्रभावित होने की संभावना नहीं रहती है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुसंधान का काम किसी पुलिस से न करवाकर किसी दूसरे एजेंसी से कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08 / वि०स० (04)–15 / 2018-3961 / राँची, दिनांक–20/07/2018 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3256, दिनांक–16.07.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

(85)

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.07.2018 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–15 का उत्तर सामग्रीः–

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>(1) क्या यह बात सही है कि पूरे झारखण्ड राज्य में नीलगायों के आतंक से किसान त्रस्त है ;</td><td>झारखण्ड राज्य के पलामू रीजन में मुख्यतः मेदिनीनगर वन प्रमण्डल एवं गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल में नीलगायों से फसलों को क्षति के मामले प्रतिवेदित हुए हैं।</td></tr>
<tr><td>(2) क्या यह बात सही है कि नीलगायों के द्वारा किसानों के फसल तैयार होने के पूर्व ही बर्बाद कर दिया जा रहा है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति हो रही है, लेकिन किसानो को क्षतिपूर्ति या मुआवजा नहीं मिल रहा है ;</td><td>पलामू रीजन में वर्ष 2017–18 में नीलगायों द्वारा किये गये फसल की क्षति के दावे की जाँच करने के पश्चात् की गई क्षतिपूर्ति की विवरणी निम्नवत् है :–
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>प्रमण्डल का नाम</th><th>भुगतान की गई राशि</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>लातेहार वन प्रमण्डल</td><td>35,600.00</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>मेदिनीनगर वन प्रमण्डल</td><td>5,11,500.00</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल</td><td>4,51,000.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नीलगायों द्वारा की जा रही फसल बर्बादी का उचित मुआवजे का भुगतान की व्यवस्था अविलम्ब करने तथा भविष्य में नीलगायों के आक्रन्त से किसानों को बचाने का उपाय करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>नीलगाय द्वारा फसल की क्षति का भुगतान मुआवजा विधिवत किया जा रहा है।
प्रभावित ग्रामीणों को नीलगायों से बचाव हेतु रोशनी के लिए किरोसीन तेल एवं पटाखा उपलब्ध कराया गया है। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को नीलगायों द्वारा की जा रही फसल की, क्षति को कम करने हेतु जागरूक करने की कार्रवाई की गई है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05 / विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न–76 / 2018– 3082 व0प0, राँची, दिनांक– 20/07/18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–3255 दिनांक–16.07.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/7/18

(रंजना बर्मन)
सरकार के उप सचिव

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा०स०वि०स० के द्वारा पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–13 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के राजमहल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखण्ड क्रमशः साहेबगंज ग्रामीण, राजमहल तथा उधवा गंगा के मध्य व तटवर्ती क्षेत्र में अवस्थित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित क्षेत्र बिहार एवं पश्चिम बंगाल की सीमा पर अवस्थित है तथा बांग्लादेशी घुसपैठी होती रहती है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला पुलिस स्वीकृत बल की संख्या जिला निर्माण के समय से है, तथा जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार साहेबगंज जिला पुलिस बल संख्या की वृद्धि करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यकता के अनुरूप पुलिस बल के अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाता है। साहेबगंज जिलान्तर्गत साहेबगंज पुलिस अनुमण्डल एवं तीनपहाड़ थाना का सृजन कुल 65 पदों के साथ किया गया है। इसके अतिरिक्त साहेबगंज जिला अंतर्गत बड़हरवा पुलिस अनुमण्डल का सृजन भी किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–907/2018–4107/ राँची, दिनांक–20/07/2018 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3257, दिनांक–16.07.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

88

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.07.2018 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–12 का उत्तर प्रतिवेदन।

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.07.2018 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–12 का उत्तर निम्नवत अंकित है:–

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–14/कोर्ट–02–05/2017 का0 4990, दिनांक–05.07.2018 के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रभावी नियमों/प्रावधानों के आलोक में सरकारी सेवको को प्रोन्नति देने का आदेश पारित किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि दिनांक–27.06.2018 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न आदेश– "State of Jharkhand taking steps for the purpose of promotion from "reserved to reserved' and Unreserved to unreserved' and also in the matter of promotion on merits" पारित किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (2) में वर्णित आदेश के आलोक में वरीयता सूची के आधार पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में प्रोन्नति देना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य में प्रभावी नियमों/प्रावधानों के आलोक में विभिन्न विभागों द्वारा प्रोन्नति की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–28/2017 का0–5399/रांची, दिनांक 19.7.18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–3258 वि0स0 दिनांक–16.07.2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/2018

(चन्द्र भूषण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

(69)

माननीय श्रीमती सीमा देवी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.07.2018 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–07 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य स्तरीय द्वितीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति हेतु आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं में आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि जे0एस0एस0सी0 के विज्ञापन संख्या–05/2017 की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण नियम का सही तरीके से पालन नहीं होने के कारण अंतिम जारी परीक्षाफल में सफल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी मात्र 14 प्रतिशत है, अनुसूचित जनजाति के कुल रिक्त 823 पद के आलोक में 506 पद पर ही भरे जा सके तथा 317 पद रिक्त रह गये;	अस्वीकारात्मक। **(i)** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा छतर सिंह बनाम राजस्थान एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालयों के न्याय निर्णयों के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल तैयार किया गया। झारखण्ड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा–2017 के प्रारंभिक परीक्षा में अनुसूचित जनजाति के कुल–823 अधियाचित पदों के विरूद्ध नियमानुसार 05 गुणा अर्थात–**4115** अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया गया। **(ii)** झारखण्ड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा–2017 (मुख्य) के आधार पर अनुसूचित जनजाति कोटि के मात्र **1148** अभ्यर्थी द्वारा ही न्यूनतम अर्हत्तांक (32%) प्राप्त किया गया। फलस्वरूप इन सभी **1148** अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया गया। शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सीय जाँच में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँचोपरांत झारखण्ड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा–2017 के अंतिम परीक्षाफल में अनुसूचित जनजाति श्रेणी में कुल–**506** एवं **53** अभ्यर्थियों की अनुशंसा मेधाक्रम में अनारक्षित श्रेणी में अर्थात अनुसूचित जनजाति के कुल–**559** अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार जिम्मेदार दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–10/2018 का0 5369 /राँची दिनांक– 18 जुलाई, 2018

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–3206, दिनांक–12.07.2018 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/18

(राज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।